



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 210 -पें० एवं आर०-28/पाकालि/24-37-पें० एवं आर०/2015

दिनांक: 16 फरवरी, 2024

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी /

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ /

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा /

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ /

केस्को, कानपुर।

विषय : कारपोरेशन (मुख्यालय), शक्ति भवन-लखनऊ, प्रत्येक डिस्कॉम (मुख्यालय) तथा केस्को (मुख्यालय), कानपुर पर त्रैमासिक पेंशन अदालत माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2024 को अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० महोदय द्वारा पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये हैं कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनरी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराये जाने हेतु कारपोरेशन (मुख्यालय), शक्ति भवन-लखनऊ, प्रत्येक डिस्कॉम (मुख्यालय) तथा केस्को (मुख्यालय), कानपुर पर त्रैमासिक पेंशन अदालत माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित की जाये।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० महोदय द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनरी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में कारपोरेशन (मुख्यालय), शक्ति भवन-लखनऊ, प्रत्येक डिस्कॉम (मुख्यालय) तथा केस्को (मुख्यालय), कानपुर पर निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी के तत्वावधान में त्रैमासिक पेंशन अदालत (मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर) माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित की जायें, जिससे कि विद्यमान नियमों के अन्तर्गत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनरी समस्याओं का त्वरित निस्तारण, पेंशन अदालत के माध्यम से कराया जा सके।

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या: 210 -पै० एवं आर०-28/पाकालि/24-37-पै० एवं आर०/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 7- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 8- लेखाधिकारी (पेंशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 10- प्रमुख महासचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर, भुइयन, लखनऊ।
- 11- कट फाइल।

आज्ञा से,

21.3.1

(राज कुमार रस्तोगी)

अपर सचिव (तृतीय)